राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 87/2020

1. शिवलाल पिता मांगीलाल जाट निवासी आम्बा का खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा 2. रामेश्वर पिता जीतू जाट निवासी आम्बा का खेडा, तहसील रायपुर 3. लेहरू पिता रामलाल जाट निवासी आम्बा का खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा। –प्रार्थी/निगरागार	**बनाम**	1. अर्जुनलाल पिता हीरालाल जाट निवासी आम्बा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा 2. ग्राम पंचायत नाथड़ियास, पंचायत समिति, रायपुर जरिये सरपंच 3. ग्राम पंचायत नारायणखेड़ा पंचायत समिति, रायपुर जरिये सचिव। –विपक्षीगण/गैरनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत नाथड़ियास पट्टा संख्या 19 दिनांक 22.04.1989।

उपस्थित –

1. श्री भैरूलाल बापना – अधिवक्ता निगराकार संख्या 1 लगायत 3।
2. श्री पुनीत कुमार शर्मा – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1।

:निर्णय:

निर्णय दिनांक :22.09 .2023

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निगराकार की ओर से निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम आम्बा का खेड़ा में गैर निगराकार संख्या 1 ने पंचायत की आबादी भूमि पर नाजायज कब्जा कर करीबन बीस हजार वर्गफीट पर अतिक्रमण करना चाहा जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत नारायणखेड़ा में निगराकारान व अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिस पर गैर निगराकार संख्या 1 ने एक पट्टा संख्या 19 जारी दिनांक 14.06.1995 की फोटो प्रति हम निगराकारान् को दी और कहा कि मेरा इस पर पट्टा है और मैं इस पर कब्जा करूंगा, इसके पश्चात् निगराकारान ग्राम पंचायत नाथड़ियास में उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपी लेने हेतु आवेदन किया और मय पत्रावली की मांग की तो वहां से उक्त पट्टा व पत्रावली नहीं होने की जानकारी दी जिससे व्यथित होकर उक्त निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है ।

निगराकार द्वारा आगे बताया गया कि ग्राम आम्बा का खेड़ा दिनांक 11.09.1992 से पूर्व ग्राम पंचायत नाथड़ियास गैर निगराकार संख्या दो का गांव था और उसकी पंचायत नाथड़ियास थी तथा निगराकारान ग्राम आम्बा का खेड़ा के वरिष्ठ नागरिक है तथा उसके गांवाई, सामाजिक व पंचायत के भूमि के विकास व कार्य एवं गतिविधियों में रूचि रखते है तथा गांव में किये जा रहे अतिक्रमण आदि पर देखभाल कर गांव के हित का ध्यान रखते है। प्रश्नगत पट्टा 16500 वर्गफीट भूमि बाबत जारी किया गया है और बापी पट्टा जारी किया गया है, जबकि उक्त भूमि पर गैर निगराकार संख्या 1 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा और न ही 50 वर्ष पूराना निर्माण है तथा गैर निगराकार संख्या एक को अकेले ही इतनी अधिक भूमि देने का ग्राम पंचायत नाथड़ियास को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ग्राम पंचायत केवल मात्र 1200 वर्गफीट या 1500 वर्गफीट भूमि ही विक्रय कर सकती है, जिसकी प्रक्रिया राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के नियम 143 से 158 तक में विहित की गई है, किन्तु उक्त पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत ने उक्त नियमों की कोई पालना नहीं की जिससे उक्त पट्टा कानूनन खारिज होने योग्य है। उक्त भूमि 11.09.1992 के पश्चात् ग्राम आम्बा का खेड़ा में स्थित होने से इस गांव का विलय ग्राम पंचायत नाथड़ियास के बजाय ग्राम पंचायत नारायण खेड़ा में कर दिया जिससे उक्त भूमि ग्राम पंचायत नारायण खेड़ा की बहुत ही कीमती भूमि है जबकि उक्त भूमि को केवल मात्र 121/– रूपये में गैर कानुनी तरीके से विक्रय का पट्टा जारी कर दिया गया जो सरकारी सम्पत्ति का व अधिकारों का दुरूपयोग मात्र है। तथा 14.06.95 से ग्राम पंचायत नाथड़ियास को उक्त पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा अपने जवाब मय प्रारंभिक आपत्तियों में अंकन किया गया कि निगराकारान द्वारा यह निगरानी राजनैतिक द्वेषता व रंजिशवश झुठी प्रस्तुत की गई हैं। निगराकारान का वादग्रस्त पट्टे एवं जायदाद मे कोई हित निहित नही हैं। प्रश्नगत बापी पट्टा संख्या 19 गैर निगराकार संख्या 1 को ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा नियमानुसार जारी किया गया हैं जिस पर गैर निगराकार संख्या 1 वर्षों से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा हैं जिसमें निर्माण भी हो रखा हैं, जिसके उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करने पर गैर निगराकार संख्या 1 जवाबदाता द्वारा निगराकारान सहित अन्य के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, गंगापुर जिला भीलवाड़ा के समक्ष एक बाद भी प्रस्तुत किया व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण संख्या 42/2020 मु.दी. मे न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी पारित कर रखा है। ऐसी स्थिति मे निगराकारान द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी विधि में पोषणीय नही होकर खारिज होने योग्य है।

ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा प्रश्नगत बापी पट्टा संख्या 19 नियमानुसार मिसल आबादीवाली संख्या 20 सन् 1989 दर्ज दिनांक 22.04.1989 कायम कर सभी विधिक प्रावधानों की सम्यक अनुपालना कर दिनांक 09.01.1991 को निर्णय पारित कर बापी पट्टे हेतु जरिये रसीद नम्बर 88 राशि 121/– रू. प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया है, जो बापी पट्टा पूर्ण रूप से कानून व विधि अनुसार बना हुआ होकर वैध एवं प्रभावी है। ग्राम पंचायत, नाथडियास द्वारा जारी प्रकरण में प्रश्नगत पट्टा संख्या 19 पूर्णतया विधिक प्रावधानों को पालन करते हुए जारी किया गया है। ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा जो पट्टा जारी किया गया हैं, उक्त जायदाद पर गैर निगराकार संख्या 1 का वर्षों से कब्जा व मालिकाना हक अधिकार चला आ रहा हैं जिसके संबंध मे ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा सभी विधिक प्रावधानों की सम्यक अनुपालना करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया हैं। उक्त बापी पट्टा संख्या 19 के संबंध में ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा मिसल संख्या 20 सन् 1989 दिनांक 22.04.1989 को दर्ज कर पट्टे हेतु सभी विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर रसीद संख्या 88 राशि 121 रोकड पाना संख्या 20 दिनांक 08.09.1990 को जमा कर उक्त बापी पट्टा जारी किया गया हैं जो विधि सम्मत होकर विधि मे पूर्ण प्रभावी है। प्रश्नगत उक्त जायदाद गैर निगराकार संख्या 1 की बापी अधिकारों की जायदाद हैं जिस पर निर्माण भी हो रखा हैं तथा उक्त जायदाद के निर्माण आदि के संबंध मे ग्राम पंचायत को आरंभ से ही पूर्ण जानकारी रही हैं ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा उक्त जायदाद की सम्पूर्ण मौका स्थिति का निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट कायम कर हर खास व आम की जानकारी मे सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन कर उक्त बापी पट्टा जारी किया गया जो पूर्ण रूप से विधि प्रभावी हैं तथा निगराकारान की निगरानी सव्यय खारिज होने योग्य है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 19 का सम्पूर्ण रिकार्ड ग्राम पंचायत नाथडियास के पास उपलब्ध हैं। गैर निगराकार संख्या 3 ग्राम पंचायत नारायण खेड़ा की सरपंच दुर्गा देवी जाट निगराकारान की पारिवारिक सदस्य हैं तथा अपने पद का दुरूपयोग कर निगराकारान के हितों को साधने हेतु उनके इशारे पर गैर निगराकार संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु आमादा हैं। अतः निवेदन हैं कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाकर निगराकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी सव्यय खारिज किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि निगराकार द्वारा उक्त निगरानी में मुख्यतः यह आपति उठाकर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करने बाबत् अनुतोष चाहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 को अधिक भूमि का पट्टा जारी किया गया हैं जबकि निगराकार की उक्त आपत्ति विधि में पोषणीय नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का उक्त प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया हैं उक्त भूमि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा नीलामी में सर्वोच्च बोली लगाकर नीलामी में छुड़ाकर प्राप्त की गई हैं तथा नीलामी प्रक्रिया द्वारा जो भूमि ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय की जाती हैं उसमें भूमि की नपती की सीमा सम्बन्धी कोई बाध्यता नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नीलामी प्रक्रिया में आपतिया मांगने का सूचना–पत्र, नीलामी सूचना–पत्र, नीलाम सूची, मौका पर्चा सम्पूर्ण प्रोसेडिंग आदि नीलामी से सम्बन्धित सभी दस्तावेज प्रक्रिया आदि संधारित कर गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा सर्वोच्च बोली लगाने व सर्वोच्च बोली राशि ग्राम पंचायत में जमा कराने पर ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा नियमानुसार उक्त पट्टा संख्या 19 गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में विधि सम्मत रूप से जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा हैं। निगराकार द्वारा नाजायज परेशान करने की गरज से व गैर निगराकार संख्या 01 के मालिकाना हक अधिकार के उक्त भूखण्ड को हड़प करने की गरज से झूठे तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की हैं जो विधि में पोषणीय नहीं होकर खारिज होने योग्य हैं।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गैर निगराकार सं. 1 की ओर से पेश अतिरिक्त जवाबपत्र के बाबत **निगराकार की ओर से आक्षेप आपत्तियां प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि** गैर निगराकार सं. 1 ने न्यायालय की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना जो अतिरिक्त जवाबपत्र पेश किया है, वह विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। गैर निगराकार सं 1 ने दिनांक 31.03.2021 को निगरानी का जो जवाब पेश किया उसमें उसने यह लिखा कि जिस जायदाद का ग्राम पंचायत नाथडियास ने उसको पट्टा पत्रावली सं. 20 सन् 1989 कायम कर जारी किया है, उस पर उसका कब्जा व मालिकाना अधिकार चला आ रहा है जबकि उसने जो अतिरिक्त जवाबपत्र दिनांक 11.08.2021 को पेश किया, उसमें उसने नीलामी से भूखण्ड क्रय करना लिखा है। जब वह यह कहता है कि वर्षों से उक्त जायदाद पर मालिकाना हक से उसका कब्जा चला आ रहा है तो उसे यह जायदाद नीलामी में क्रय करने की क्यों आवश्यकता पड़ गयी। पंचायत को अपनी आबादी भूमि में निवासीय प्रयोजन के लिये राजस्थान पंचायती राज नियम 143 के तहत 100 वर्गगज क्षेत्रफल का ही विक्रय नीलामी के माध्यम से करने का अधिकार है जबकि पंचायत ने 16,500 वर्गफुट क्षेत्रफल का भूखण्ड मात्र 121/–रूपयों में गैर निगराकार सं. 1 को विक्रय कर दिया जो नियम विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत नाथडियास ने उक्त आबादी भूमि का विक्रय मात्र 0.0073 रूपये प्रति वर्गफुट की दर से कर दिया जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को नियम 156 (2) में यह प्रावधान है कि **"किसी भी मामले में पंचायत ऐसी आबादी भूमि उप रजिस्ट्रार द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत के नीचे किसी दर पर अन्तरित नहीं की जायेगी।"** इस प्रकार ग्राम पंचायत ने उपरजिस्ट्रार द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत की दर की अनदेखी कर मिलीभगत से गैर निगरकार सं. 1 को उक्त आबादी भूमि का जो विक्रय किया है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी को स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार सं. 1 को पत्रावली संख्या 20 से जो पट्टा सं. 19 दिनांक 14.06.1995 को ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा जारी किया गया उसे निरस्त कराया जावें और इस पट्टे में वर्णित क्षेत्रफल की भूमि का कब्जा राज्य सरकार/पंचायत के लिवाया जावें ।

गैर निगराकारान का जवाब प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। **निगराकार अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस** में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम आम्बा का खेडा दिनांक 11.09.1992 से पूर्व ग्राम पंचायत नाथड़ियास में आता था लेकिन राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.09.1992 से पंचायत का परिसीमन हो जाने से उक्त गांव ग्राम पंचायत नारायणखेडा में सम्मिलित हो गया, जिससे दिनांक 14.06.1995 को ग्राम पंचायत नाथड़ियास द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया अवैध है। ग्राम पंचायत नाथड़ियास द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को 16,500 वर्गफुट क्षेत्रफल का भूखण्ड मात्र 121/– रूपयों में विक्रय कर दिया, जबकि पंचायत को अपनी आबादी भूमि में निवासीय प्रयोजन के लिये राजस्थान पंचायती राज नियम 143 के तहत 100 वर्गगज क्षेत्रफल का ही विक्रय नीलामी के माध्यम से करने का अधिकार है, जो नियम विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। गैर निगराकार सं 1 ने दिनांक 31.03.2021 को निगरानी का जो जवाब पेश किया उसमें उसने यह लिखा कि जिस जायदाद का ग्राम पंचायत नाथडियास ने उसको पट्टा पत्रावली सं. 20 सन् 1989 कायम कर जारी किया है, उस पर उसका कब्जा व मालिकाना अधिकार चला आ रहा है जबकि उसने जो अतिरिक्त जवाबपत्र दिनांक 11.08.2021 को पेश किया, उसमें उसने नीलामी से भूखण्ड क्रय करना लिखा है। जब वह यह कहता है कि वर्षों से उक्त जायदाद पर मालिकाना हक से उसका कब्जा चला आ रहा है तो उसे यह जायदाद नीलामी में क्रय करने की क्यों आवश्यकता पड़ गयी। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 1 के स्वयं के जवाब में विरोधाभाषी तथ्य प्रकट हो रहे है। साथ ही निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत नाथड़ियास द्वारा जिस भूखण्ड का पट्टा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 14.06.1995 को जारी किया है उसके आराजी संख्या 158 है जो बिलानाम सरकारी भूमि थी जो प्रकरण संख्या 420 दिनांक 21.08.2017 को ग्राम पंचायत नारायण खेडा के नाम पर दर्ज हुई। उक्त भूमि 2017 से पूर्व बिलानाम सरकार भूमि थी तो ग्राम पंचायत नाथड़ियास को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। अतः निगरानी स्वीकार फरमा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा पत्रावली सं. 20 सन् 1989 से जारी पट्टा संख्या 19 दिनांक 14.06.1995 को निरस्त फरमाया जावें। निगराकार अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न नजीरें प्रस्तुत की:- 1. 2018 (4) डीएनजे (राज.) 1660 जोहरी लाल जाट बनाम सरकार 2. राजस्थान काश्तकारी अधि0, 1955 की धारा 251, 3. 2018-19 RRT 145, 1995 RRC 189, 2006 RBJ 671, 4. 1995 RRC 189 मान सिंह बनाम कन्हैया राम, 5. 2018-19(Supp.)RRT 145 गुट्टी देवी बनाम बस्तीराम, 6. 2006 RBJ 671 मोहन लाल बनाम बसन्ती, 7. 2009 RBJ 473 प्रेमी देवी बनाम देवा राम व अन्य।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गैर निगराकार 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि ग्राम पंचायत नाथड़ियास द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टा जिस भूखण्ड का जारी किया गया है उस पर वह वर्षों से काबिज होकर उपयोग कर रहा है। निगराकार द्वारा राजनैतिक द्वैषता से यह निगरानी प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत नाथड़ियास द्वारा प्रश्नगत बापी पट्टा संख्या 19 नियमानुसार मिसल पत्रावली संख्या 20/1989 दर्ज दिनांक 22.04.1989 कायम कर सभी विधिक प्रावधानों की अनुपालना कर दिनांक 09.01.1991 को निर्णय पारित कर बापी पट्टे हेतु जरिये रसीद नंबर 88 राशि 121/— रू0 प्राप्त कर विधिवत् पट्टा जारी किया है। गैर निगराकार द्वारा निलामी में सर्वोच्च बोली लगाकर भूमि प्राप्त की है। अतः निगराकार की निगरानी खारिज फरमायी जावें। गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न नजीरें प्रस्तुत की गई : **1. 2002 (1) डीएनजे (राज.) 307 चिरंजीलाल बनाम सरकार, 2. 2012 (2) डीएनजे (राज.) 602 रमेशचन्द बनाम रामचन्द्र, 3. 2007 (2) डीएनजे (राज.) 975 जावि0वि0नि0लि0 बनाम सरकार, 4. 2008 सुप्रीम(राज0) 1831 2008 2 डीएनजे 735, 5. 2010 (1)RRT 384 तनकुल बनाम रामसहाय ।**

मैने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं परीक्षण किया। सर्वप्रथम गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा यह आपत्ति की गई है कि निगराकार शिकायतकर्ता है जिसका उक्त वादग्रस्त पट्टे को प्रश्नगत करने का कोई अधिकार नहीं है, इस कारण यह निगरानी पोषणीय नहीं है। इसके खण्डन में निगराकार के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि निगराकार ग्राम पंचायत का निवासी है कि ग्राम पंचायत के हितों से सीधे तौर पर जुडा हुआ है, इसलिए वह निगरानी लाने के लिए सक्षम है।

इस संबंध में न्यायालय यह मत रखती है कि पुनरीक्षणकर्ता ग्रामवासी होने के कारण ग्राम पंचायत के कार्यकलापों में हितबद्ध है जो विक्रय पर आक्षेप लाने हेतु सक्षम है। निगराकार का इस प्रकरण में Locus standy है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **भगवानलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2015(2)डब्ल्यूएलसी(राज)52** पारित किया है। ग्राम पंचायत के निवासी द्वारा यदि कोई निगरानी याचिका ग्राम पंचायत के किसी अवैध आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसे निगराकार को निगरानी याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत उपलब्ध है। अतः निगराकार के हितबद्ध व्यक्ति नहीं होने संबंधी गैर निगराकार का कथन व आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस एवं जवाब में यह उजर बताया गया कि निगराकार द्वारा 15 वर्ष से भी अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात् मियाद बाहर यह निगरानी प्रस्तुत की है जो मियाद वर्जित होने के आधार पर खारिज होने योग्य है।

इस संबंध में न्यायालय का मत है कि नियम विरूद्ध जारी कोई आदेश अथवा काननू के उल्लंघन में निष्पादित कोई दस्तावेज कानून की नजर में प्रारम्भ से ही शून्य और निरर्थक होते है तथा शून्य/अवैध आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा भी इस संबंध में विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये हुए है। इस संबंध में निगराकार अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टांत 1. **1995 RRC 189 मान सिंह बनाम रूपा राम, 2. 2018-19(Supp.)RRT 145 गुट्टी देवी बनाम बस्तीराम, 3. 2006 RBJ 671** हस्तगत प्रकरण में सटीक तौर पर लागू होते है जिसमें स्पष्ट अंकन किया गया है कि कानूनी रूप से गलत निर्णय की अपील अथवा रिवीजन करने की प्राकृतिक न्याय के आधार पर कोई मियाद नहीं होती है। इस प्रकार गैर निगराकार अधिवक्ता द्वारा उठाया गया मियाद संबंधी उजर अस्वीकार किया जाता है।

निगराकार एवं गैर निगराकार के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा न्यायालय को बताये गये तथ्यों अनुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत नाथड़ियास द्वारा जिस प्रश्नगत भूमि ग्राम आम्बा का खेडा आराजी संख्या 158 का पट्टा संख्या 19 दिनांक 14.06.1995 गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी किया है, वह गैर मु. आबादी भूमि थी, जो नामान्तरकरण संख्या 420 दिनांक 21.08.2017 को ग्राम पंचायत नारायण खेडा के नाम पर दर्ज हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम आम्बा का खेडा पटवार खेडा नारायण खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2073– 2076 में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि नामान्तरकरण संख्या 320 दिनांक 21.08.2017 के आदेश से आराजी संख्या 158, 162, 167 लगायत 171, 306, 324, 325, 326, 421 किता 12 कुल रकबा 9.95 है0 को ग्राम पंचायत नारायणखेडा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा उसके नाम पर ही नहीं होने वाली भूमि पर उक्त प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया जो प्रथमदृष्टया ही विधिसम्मत नहीं है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम पंचायत नाथड़ियास पंचायत समिति रायपुर की प्रश्नगत पट्टे की मिसल पत्रावली में उपलब्ध मौका पर्चा पर कोई दिनांक अंकित नहीं की गई है। पत्रावली में उपलब्ध आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आपत्तिया मंगाने का सूचना पत्र पर भी दिनांक अंकित नहीं की गयी है एंव ना ही उक्त सूचना पत्र चस्पा किये जाने की कोई दिनांक एवं ना ही उक्त सूचना पत्र पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर किये हुए है, **जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 (1) व (2) में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि पंचायत प्रारूप 22 में एक नोटिस, प्रस्तावित विक्रय के संबंध में, इसके प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर–भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुए दो प्रतियों में तैयार कर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायेगी एवं दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात् पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी।** इस प्रकार ग्राम पंचायत, नाथड़ियास द्वारा प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आपत्तिया मंगाने का जो सूचना पत्र जारी किया गया है उसमें राजस्थान पंचायती राज नियमों की पूर्ण पालना नहीं की गई है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 में ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस जारी और प्रकाशित किये जाने के एक मास के भीतर–भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होने अथवा प्राप्त हुये सभी आक्षेप नियम 149 के अधीन खारिज कर दिये जाने के उपरान्त नियम 150 में पंचायत संकल्प द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित भूमि के, किसी ऐसी तारीख को, जो संकल्प के आदेश की तारीख से एक मास के पूर्व की न हो, और विनिर्दिष्ट किये जाने वाले समय और स्थान पर, नीलाम का आदेश देगी, किन्तु हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड/प्रस्तावित भूमि के नीलामी हेतु जारी निलाम सूचना पत्र में निलामी की तारीख एवं समय का उल्लेख नहीं किया गया है एवं ना ही उक्त सूचना पत्र पर सचिव के हस्ताक्षर व ना ही ग्राम पंचायत की मोहर अंकित है। इसी प्रकार नियम 151 के अनुसार पंचायत की स्थावर सम्पत्ति के सभी नीलाम एक नीलामी समिति (जिसमें सरपंच, उप–सरपंच, सतर्कता समिति का अध्यक्ष, महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग का एक पंच पंचायत द्वारा मनोनीत, भू–राजस्व निरीक्षक/पटवारी शामिल है) द्वारा किये जाने चाहिए, किन्तु ग्राम पंचायत की प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मिसल पत्रावली की आदेशिका में कही किसी निलामी समिति का गठन किये जाने का अंकन नहीं है एवं ना ही कोई अन्य दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे निलामी समिति का गठन कर प्रश्नगत भूखण्ड निलाम किया जाना सिद्ध होता हो।

राजस्थान पंचायती राज नियम नियम 1996 के नियम 151 (1) अनुसार **"नीलामी समिति–स्थावर सम्पत्ति के सभी नीलाम एक नीलामी समिति द्वारा किये जायेंगे"**, नियम 152(2) अनुसार **"नीलामी समिति ऐसी भूमि की विद्यमान बाजार कीमत ध्यान में रखेगी"**, नियम 152(3) अनुसार **"अंतिम बोली किसी भी स्थिति में उस सूचक–दर से कम नहीं होगी जो क्षेत्र के उपरजिस्ट्रार द्वारा स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनार्थ भूमियों के पिछले विक्रयों के आधार पर नियत की गयी हो।"** एवं नियम 152(5) अनुसार **"बोलिया ऐसी सूचक दरों से प्रारंभ होगी जो उपनियम 4 के अधीन विकास अधिकारी द्वारा सूचित की जाए ओर सूचक दरें बाजार कीमत के अनुसार होंगी जिनसे नीचे किसी भी विक्रय को पंचायत द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया जायेगा।"** जबकि हस्तगत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना किया जाना कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत, नाथड़ियास ने 16,500 वर्गफुट क्षेत्रफल का भूखण्ड मात्र 121/–रूपयों अर्थात् 0.0073 रूपये प्रति स्क्वायर फिट में गैर निगराकार सं. 1 को विक्रय कर दिया जिससे ग्राम पंचायत की प्रश्नगत भूमि के विक्रय संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया ही संदेहास्पद प्रतीत हो रही है, क्योकि इतने बडे क्षेत्रफल (16,500 स्क्वायर फिट) के भूखण्ड की विद्यमान बाजार दर तत्समय भी मात्र 121/–रूपये तो नहीं रही होगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने उपरजिस्ट्रार द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित दर की अनदेखी कर गैर निगराकार सं. 1 को उक्त आबादी भूमि को जो विक्रय किया है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 143 के अनुसार नियमानुसार आबादी भूमि पर 100 वर्गगज तक का पट्टा जारी करने का अधिकार है, वह भी नीलामी द्वारा नियम 141 से 156 तक की कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी को 16500 वर्गफीट भूखण्ड का पट्टा जारी कर दिया गया है, जबकि नीलामी द्वारा नियम 143 के अंतर्गत इतने बडे क्षेत्रफल का भूखण्ड ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार ग्राम पंचायत नाथड़ियास, पंचायत समिति रायपुर द्वारा प्रश्नगत जायदाद का गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियमों की पूर्णतः विधिवत पालना नहीं की गई है। इस संबंध में निगराकार अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **2018 (4) डीएनजे (राज.) 1660 जोहरी लाल जाट बनाम सरकार** हस्तगत प्रकरण में चस्पा होती है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती है एवं ग्राम पंचायत नाथडियास, पंचायत समिति, रायपुर की पत्रावली संख्या 20 आदेश दिनांक 09.01.1991 की पालना में गैर निगराकार संख्या 01 अर्जुनलाल पिता हीरालाल जाट निवासी कान्हा का खेडा के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 19 दिनांकित 14.06.1995 नियम विरूद्ध जारी होना सिद्ध होता है। अतएव–

आदेश

अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत नाथडियास, पंचायत समिति, रायपुर जिला भीलवाड़ा की पत्रावली संख्या 20 में पारित आदेश दिनांक 09.01.1991 एवं उक्त आदेश से जारी किया गया पट्टा संख्या 19 दिनांकित 14.06.1995 विधिविरूद्ध एवं अवैध होने से निरस्त/अपास्त किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ मय अधीनस्थ न्यायालय का तलबिदा रिकॉर्ड ग्राम पंचायत, नाथडियास, पंचायत समिति, रायपुर जिला भीलवाड़ा को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 22-09.2023 को बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर • भीलवाड़ा (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा